न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 78 सन 2021

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र दयाराम जाति नायक निवासी 7–9 आरपीएम (पिचकराई) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चन्द्रकला पत्नी दयाराम जाति नायक निवासी 7–9 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विनोद कुमार पुत्र दयाराम जाति नायक निवासी 7–9 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 370/385 की कुल 6.4750हैव में से 8/27 हिस्सा भूमि दयाराम पुत्र सोहनलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि दयाराम पुत्र सोहनलाल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता दयाराम पुत्र सोहनलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अर्थात दयाराम के पुत्र/पुत्री एवं पत्नी है।

वाद भूमि जो वादी के पिता दयाराम पुत्र साहेनलाल के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 होने के कारण विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की दयाराम पुत्र सोहनालाल वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के पिता दयाराम पुत्र सोहनलाल के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है दयाराम पुत्र सोहनलाल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है इसलिये दयाराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 370/385 की कुल 6.4750हैक में से 8/27 हिस्सा भूमि दयाराम पुत्र सोहनलाल के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि दयाराम पुत्र सोहनलाल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता दयाराम पुत्र सोहनलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अर्थात दयाराम के पुत्र/पुत्री एवं पत्नी है।

वाद भूमि जो वादी के पिता दयाराम पुत्र साहेनलाल के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 होने के कारण विरास्तन से वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 370/385 की कुल 6.4750हैक में से 8/27 हिस्सा भूमि दयाराम पुत्र सोहनलाल के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि उनके पिता दयाराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है दयाराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो दयाराम के नाम दर्ज भूमि के हकदार है वादी ने अपने कथनों के समर्थन में दयाराम का मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने वादी के कथनो को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 370/385 की कुल 6.4750हैक में से 8/27 हिस्सा भूमि दयाराम पुत्र सोहनलाल के नाम सें दर्ज है मृतक दयाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र दयाराम जाति नायक निवासी 7–9 आरपीएम (पिचकराई) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 चन्द्रकला पत्नी दयाराम जाति नायक निवासी 7–9 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विनोद कुमार पुत्र दयाराम जाति नायक निवासी 7–9 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 78 सन 2021 निर्णय दिनांक– 23/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 370/385 की कुल 6.4750हैक में से 8/27 हिस्सा भूमि दयाराम पुत्र सोहनलाल के नाम सें दर्ज है मृतक दयाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते